संख्या- 11/2026/ —— /001-1133-1-26-3-2026-1397413

प्रेषक,

चन्द्र कुमार मिश्र
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 11 अप्रैल, 2026

विषयः- अनुदान संख्या-80 के लेखाशीर्ष-2235-02-001-03-आवासीय संस्थानों के पूर्णकालिक चिकित्सों की व्यवस्था तथा लेखाशीर्ष-2225-01-80-001-03-0301-विमुक्त जातियों के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-21-23/01/लेखा बजट/वित्तीय स्वीकृतियां /2026-27, दिनांक 10-04-2026 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-80 के लेखाशीर्ष-2225 तथा 2235 की वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-80 के लेखाशीर्ष-2235-02-001-03-आवासीय संस्थानों के पूर्णकालिक चिकित्सों की व्यवस्था तथा लेखाशीर्ष-2225-01-80-001-03-0301-विमुक्त जातियों के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष प्रथम त्रैमास हेतु 31,06,750 (रुपये इकतीस लाख छह हजार सात सौ पचास मात्र) की निम्नवत् तालिका में अंकित विवरण के अनुसार अग्रलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि वर्ष 2026-27 के लिये है, जिसके सापेक्ष अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार कर लें, जहां तक सम्भव हो, व्यय की फेजिंग प्रतिमाह समान रूप से की जाय। बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया जाय कि आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय यदि सम्बन्धित विभाग के आहरण एवं वितरण अधिकारी जनपद स्तर पर हैं, तो जनपद स्तर पर व्यय की जाने वाली धनराशियों को सम्बन्धित जनपदों के आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवंटित की जाय। ऐसे मामलों में

विभागाध्यक्ष स्तर पर एक मुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय। धनराशि के एक मुश्त आहरण से राज्य के रोकड़ प्रबन्धन (कैश मैनेजमेन्ट) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय हेतु वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनॉक 28-03-2026, में दिये गये दिशा-निर्देशों एवं प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। धनराशि व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उनमें ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये। धनराशि के व्यय हेतु शासन द्वारा मितव्ययिता के संबंध में समय-समय पर निर्गत सुसंगत वित्तीय नियमों तथा आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा उ0प्र0 बजट मैनुअल के पैरा-88 में इंगित व्यवस्था के अनुसार व्यय को प्राधिकृत विनियोग सीमा/स्वीकृत/अवमुक्त धनराशि के भीतर रखा जाये।

(3) वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष व्यय की नियमित संवीक्षा अपने स्तर पर किये जाने की व्यवस्था करें तथा समीक्षा में यदि किसी मामले में सीमाधिक्य व्यय दृष्टिगोचर हो तो उसे तत्काल शासन के समाज कल्याण विभाग तथा संबंधित वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग के संज्ञान में लाया जाये। इस संबंध में बी0एम0-13 में नियमित रूप से शासन को सूचना उपलब्ध कराई जाये तथा बजट मैनुअल में निर्धारित विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम से इस संबंध में निर्धारित कैलेण्डर के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

(4) उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय के विवरण सहित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। उपर्युक्त धनराशि व्यय किये जाने के संबंध में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डड्स आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाए।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 2225800010301 (विमुक्त जातियों के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	080	2225800010301 विमुक्त जातियों के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र	01 वेतन	7,00,000 (रुपये सात लाख मात्र)
2	080	2225800010301 विमुक्त जातियों के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र	03 मंहगाई भत्ता	4,55,000 (रुपये चार लाख पचपन हजार मात्र)
3	080	2225800010301 विमुक्त जातियों के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र	04 यात्रा व्यय	2,500 (रुपये दो हजार पाँच सौ मात्र)
4	080	2225800010301 विमुक्त जातियों के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र	05 स्थानान्तरण यात्रा व्यय	3,750 (रुपये तीन हजार सात सौ पचास मात्र)
5	080	2225800010301 विमुक्त जातियों के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र	06 अन्य भत्ते	6,250 (रुपये छह हजार दो सौ पचास मात्र)

6	080	2225800010301 विमुक्त जातियों के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र	07 मानदेय	250 (रुपये दो सौ पचास मात्र)
7	080	2225800010301 विमुक्त जातियों के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र	08 कार्यालय व्यय	6,250 (रुपये छह हजार दो सौ पचास मात्र)
8	080	2225800010301 विमुक्त जातियों के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र	09 विद्युत देय	50,000 (रुपये पचास हजार मात्र)
9	080	2225800010301 विमुक्त जातियों के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	6,250 (रुपये छह हजार दो सौ पचास मात्र)
10	080	2225800010301 विमुक्त जातियों के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र	43 सामग्री एवं सम्पूर्ति	6,250 (रुपये छह हजार दो सौ पचास मात्र)
11	080	2225800010301 विमुक्त जातियों के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र	45 अवकाश यात्रा व्यय	5,000 (रुपये पाँच हजार मात्र)
12	080	2225800010301 विमुक्त जातियों के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र	49 चिकित्सा व्यय	12,500 (रुपये बारह हजार पाँच सौ मात्र)
13	080	2225800010301 विमुक्त जातियों के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र	51 वर्दी व्यय	500 (रुपये पाँच सौ मात्र)
14	080	2225800010301 विमुक्त जातियों के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र	53 पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राज्य सहायता)	37,500 (रुपये सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र)
15	080	2225800010301 विमुक्त जातियों के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	12,500 (रुपये बारह हजार पाँच सौ मात्र)
	कुल			**13,04,500 (रुपये तेरह लाख चार हजार पाँच सौ मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2235020010300 (आवासीय संस्थानों के पूर्णकालिक चिकित्सकों की व्यवस्था)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	080	2235020010300 आवासीय संस्थानों के पूर्णकालिक चिकित्सकों की व्यवस्था	01 वेतन	10,50,000 (रुपये दस लाख पचास हजार मात्र)

2	080	2235020010300 आवासीय संस्थानों के पूर्णकालिक चिकित्सकों की व्यवस्था	03 मंहगाई भत्ता	6,82,500 (रुपये छह लाख बयासी हजार पाँच सौ मात्र)
3	080	2235020010300 आवासीय संस्थानों के पूर्णकालिक चिकित्सकों की व्यवस्था	06 अन्य भत्ते	250 (रुपये दो सौ पचास मात्र)
4	080	2235020010300 आवासीय संस्थानों के पूर्णकालिक चिकित्सकों की व्यवस्था	07 मानदेय	250 (रुपये दो सौ पचास मात्र)
5	080	2235020010300 आवासीय संस्थानों के पूर्णकालिक चिकित्सकों की व्यवस्था	39 औषधि तथा रसायन	250 (रुपये दो सौ पचास मात्र)
6	080	2235020010300 आवासीय संस्थानों के पूर्णकालिक चिकित्सकों की व्यवस्था	43 सामग्री एवं सम्पूर्ति	250 (रुपये दो सौ पचास मात्र)
7	080	2235020010300 आवासीय संस्थानों के पूर्णकालिक चिकित्सकों की व्यवस्था	55 मकान किराया भत्ता	37,500 (रुपये सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र)
8	080	2235020010300 आवासीय संस्थानों के पूर्णकालिक चिकित्सकों की व्यवस्था	57 प्रैक्टिस बन्दी भत्ता	31,250 (रुपये इकतीस हजार दो सौ पचास मात्र)
	कुल			**18,02,250** **(रुपये अठारह लाख दो हजार दो सौ पचास मात्र)**

महायोग	31,06,750 (रुपये इकतीस लाख छह हजार सात सौ पचास मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक- 28-मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
Digitally signed by
CHANDRA KUMAR MISHRA
Date: 09-05-2026
11:चन्द्रकुमार मिश्र
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

संख्या- 71 /2026/ —— /001-1133-1-26-3-2026-1397413, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी/लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, प्रयागराज।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन,लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, निदेशालय, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
5- निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
6- निदेशक, एन0आई0सी0 योजना भवन, लखनऊ।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

चन्द्र कुमार मिश्र
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।